

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर।

मिसकेस संख्या -90/2023-24

आदेश

कि गई
कार्रवाई

08/9/23
अभिलेख उप स्थापित। अभिलेख के साथ प्रस्तुत आवेदन शपथ पत्र अंचलाधिकारी पटमदा के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा अन्य कागजातों के अवलोकन एवं साक्ष्यों के आधार पर अन्तरण की पूर्वानुमति के लिए अपेक्षित निम्नांकित शर्तें विद्यमान हैं :-

1. विक्रेता/दाता प्रसंगाधीन जमीन के अधिभोग (occupancy) रैयत है।
2. विक्रेता/दाता और क्रेता/ग्रहिता दोनों ही अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। (जाति प्रमाण पत्र संलग्न)
3. ग्रहिता/ क्रेता एवं दाता/विक्रेता दोनों ही एक ही थाना के निवासी हैं, जिस थाना के क्षेत्राधिकार में प्रसंगाधीन जमीन अवस्थित है। (निवास प्रमाण पत्र संलग्न)
4. प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) द्वितीय परन्तुक (क) के अन्तर्गत विक्रेता/दाता -नगेन सिंह, पिता-स्व० हरिराम सिंह, जाति-भूमिज, ग्राम-कौरा टोला जोजराडीह, थाना-बोड़ाम, अंचल-बोड़ाम, जिला-पूर्वी सिंहभूम को मूल्य-2,00,000/-रुपये या जिला निबंधक द्वारा निर्धारित मूल्य से जो है अधिक है, की दर से क्रेता/ग्रहिता :-पुथ सिंह, पिता-स्व० किष्टो सिंह, जाति-भूमिज, ग्राम-अपो, थाना-पटमदा, अंचल-पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम के नाम बिक्री हेतु निम्नांकित जमीन का ब्यौरा :-

मौजा	थाना सं०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा
अपो	154	8	354	0.17ए०
			355	0.07ए०
			356	0.70ए०
			कुल-	0.94ए०

के प्रस्तावित अंतरण की पूर्वानुमति दी जाती है।

लेखापित

08/9/23
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धालभूम, जमशेदपुर